संख्या-सम्ब0-142/सत्तर-2-2014-2(142)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 07 मई, 2014

विषयः-बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2014-15 में सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-रू0वि0/सम्ब0/2014/994-995 दिनांक 20.03.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन आत्माराम महाविद्यालय, अलापुर, बदायूँ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रबंध समिति अनुमोदित न होने के दृष्टिगत दिनांक 01.7.2014 से एक वर्ष हेतु सशर्त संबद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा- प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।

(3) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने

वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं कांउसिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(5) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-142 (1)/सत्तर-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-16, शान्तिपथ, तिलक नगर, जयपुर।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (परीक्षा संचालक)
(4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(5) सचिव/प्रबन्धक, आत्माराम महाविद्यालय, अलापुर, बदायूँ।
(6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(7) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनीता सिंह), उ0प्र0शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।